# छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 188/2008

1. श्री शेख नजीर (राजू), – अपीलार्थी
एटूजेड ड्रेसेज के पास, इंदिरा मार्केट,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय नगर निगम,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 06 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री शेख नजीर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, दुर्ग के समक्ष दिनांक 05.10.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 19.11.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.11.2007 के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 14.02.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.01.2007 को अपूर्ण जानकारी दिया जाना बताया गया, अतः अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी द्वारा श्री नेतराम चन्द्राकर, तत्कालीन राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी बताये जाने के कारण उन्हें दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 13.01.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर में उनके द्वारा बाजार विभाग के प्रभारी श्री रमेश शर्मा को उत्तरदायी बताया गया, अतः श्री शर्मा को भी दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 25.02.2009 को प्रस्तुत किया गया। श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत उत्तर में पूर्व राजस्व अधिकारी श्री नेतराम चन्द्राकर को उत्तरदायी बताया गया है और लेख किया है कि वे एक कनिष्ठ कर्मचारी होकर उनके अधीन कार्यरत थे। श्री चन्द्राकर ने दिनांक 03.07.2007 को नगर निगम, दुर्ग से कार्यमुक्त होना बताया, किन्तु उनकी अवधि में भी विलंब हुआ था और उनके द्वारा ही अपूर्ण जानकारी देने संबंधी त्रुटि की गई थी तथा श्री रमेश शर्मा, सहायक ग्रेड–2 है और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी टालना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए उन्हें दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत श्री नेतराम चन्द्राकर, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, नगर निगम, दुर्ग वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़ पर समस्त परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरांत एक हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही श्री रमेश शर्मा प्रभारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहायक ग्रेड–2, नगर निगम, दुर्ग पर थोड़ी त्रुटि उनकी होने के कारण अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर राशि पॉच सौ रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को तर्क में बताया गया था कि दिनांक 26.11.2008 के अनुसार अपीलार्थी ने विरोधाभाषी त्रुटिपूर्ण जानकारी के संबंध में स्पष्ट करते हुए कोई पत्र नहीं दिया था, अतः इस आधार पर अब अपीलार्थी को दिया गया अवसर समाप्त किया जाता है। प्रकरण में अपीलार्थी ने बताया कि उन्होंने विज्ञापन की जानकारी मॉगी थी, जबकि दिनांक 30.01.2007 एवं 23.07.2008 को जो जानकारी दी गई गई है, उसमें विज्ञप्ति जो समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, वह मात्र दी गई है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि या तो यदि कोई विज्ञापन जारी हुआ है तो उसकी प्रति दी जावे या स्पष्ट उत्तर दिया जावे कि विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। इसी प्रकार आरक्षण से संबंधित जानकारी के संबंध में भी शासन के जो स्पष्ट निर्देश है, उनकी प्रति दी जावे और उनका किस प्रकार से पालन किया गया है, यह भी बताया जावे तथा यह जानकारी अब 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क दी जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com